सं0 ए-12025/25/2012-प्रशा.-2

भारत सरकार

योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली - 110001
दिनांक 12 जनवरी, 2013

सेवा में,

केन्द्र सरकार के सभी विभाग/राज्य सरकारें/विश्वविद्यालय आदि
(संलग्न सूची के अनुसार)

विषयः योजना आयोग में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधिक अनुबंध सहित) आधार पर वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (जीसीएस) के पदों के लिए चयन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना आयोग में वेतन बैंड - 3, [15600-39100/-रूपये] + ग्रेड वेतन 6600/-रूपये (संशोधन- पूर्व 10000-325-15200 रूपये) में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधिक अनुबंध सहित) आधार पर वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (समाजशास्त्र/सामाजिक योजना) और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (कृषि विज्ञान) के पदों पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त अधिकारियों, प्रत्येक पद के लिए एक, की सेवाओं की आवश्यकता है। चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

2. केन्द्र सरकार/ राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्धसरकारी, सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के अधीन कार्यरत अधिकारियों के साथ-साथ विभागीय अनुसंधान अधिकारी, जो **संलग्नक-I** में दी गई शर्तों को पूरा करते हैं, के मामलों पर पद पर चयन हेतु विचार किया जाएगा। यदि किसी विभागीय अनुसंधान अधिकारी का इस पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया जाता है, तो वह पद पदोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा और यदि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बाहरी व्यक्ति की अनुशंसा की जाती है, तो पद का प्रस्ताव प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/अल्पावधिक अनुबंध आधार पर, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा।

3. पात्रता शर्तें, शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव, पदों का वेतनमान, पदों से संबद्ध कार्य तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि इत्यादि का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

4. केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों/विश्वविद्यालयों आदि से अनुरोध है कि वे इन रिक्तियों को उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों सहित मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, अर्द्ध-सरकारी, सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों में कार्यरत पात्र एवं इच्छुक अधिकारियों के ध्यान में भी ला दें।

5. अनुरोध है कि ऐसे अभ्यर्थी जो निर्धारित अपेक्षाएं पूरी करते हैं और जिन्हें चयन की सूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर कार्य मुक्त किया जा सके, के आवेदन पत्र **(दो प्रतियों में)** निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रोफार्मा **(संलग्नक-II)** में भरकर अधोहस्ताक्षरी को अग्रेषित किए जाएं। आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा कार्यालय प्रमुख अथवा उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए :

(i) अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर्स अथवा पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटो प्रतियां (जो भारत सरकार के न्यूनतम अवर सचिव रैंक के अधिकारी या समकक्ष द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित की गई हों); और

(ii) संलग्न प्रपत्र में सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जो कि भारत सरकार के उपसचिव स्तर अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो; और

(iii) संलग्न फार्मेट में सतर्कता निकासी जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनिक अथवा आपराधिक कार्यवाही न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है; और

(iv) संलग्न फार्मेट में विगत 10 वर्षों के दौरान अभ्यर्थी पर लगाए गए बड़े/छोटे दण्डों की सूची, यदि कोई हो/ दण्ड नहीं लगाए जाने का प्रमाण पत्र।

6. आवेदन केवल ऐसे अभ्यर्थियों के ही अग्रेषित किए जाएं जो सतर्कता की दृष्टि से मुक्त हों। इस रिक्ति को शीघ्र ही रोजगार समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जा रहा है। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन होगी।

7. आवेदनकर्ता यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन सभी प्रकार से पूरा हो और निर्धारित प्रपत्र **(संलग्नक-II)** में हो। प्रपत्र का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जहां पर सूचना लागू न हो अथवा शून्य हो, तो कृपया इसका उल्लेख किया जाए। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन, **अवर सचिव (प्रशा-II), योजना आयोग, कमरा सं0 516, 5वां तल, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001** को भेजा जाए। उपर्युक्त पैरा-5 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों सहित उचित माध्यम से अंतिम तारीख तक या उससे पहले प्राप्त पूर्ण आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त अथवा जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं है अथवा अपूर्ण अथवा अग्रिम आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. इस रिक्ति का विस्तृत ब्यौरा **" Appointments/Jobs"** लिंक के अंतर्गत योजना आयोग की वैबसाइट **"http://www.planningcommission.gov.in"** पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,

सुभाष चन्द्र

(सुभाष चन्दर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष (011)23042491

प्रति अग्रेषितः-

1. योजना आयोग में सभी अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने अंतिम तारीख को ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है/पूरी करेंगे, तथा **जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों**, वे अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र में **(दो प्रतियों में)** अंतिम तारीख तक अपने प्रभागाध्यक्ष के माध्यम से भेज दें।
2. योजना आयोग के सभी नोटिस बोर्ड।
3. निदेशक (सी एण्ड आई), योजना आयोग (परिपत्र की साफ्ट प्रति सहित) को इस अनुरोध के साथ कि इस रिक्ति परिपत्र को " सर्कुलर/वेकेंसी" हाइपर लिंक के अंतर्गत योजना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

सुभाष चन्द्र

(सुभाष चन्दर)
अवर सचिव, भारत सरकार

योजना आयोग में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानान्तरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) द्वारा भरे जाने के लिए वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (समाजशास्त्र/सामाजिक आयोजना) और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (कृषि विज्ञान) के पदों से संबंधित पात्रता शर्तों आदि का विस्तृत ब्यौरा।

1. **वेतनमानः** वेतन बैंड- - 3, 15600-39100/-रूपये + 6600रू. ग्रेड वेतन
[पूर्व संशोधित 10000-325-15200/-रूपये]

2. **पद से जुड़ा कार्यः**

डाटा संग्रहण, टिप्पणी और ज्ञापन तैयार करना। उन्हें समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

3. **पात्रता (अंतिम तारीख को)**

प्रतिनियुक्ति हेतु

(क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्द्ध-सरकारी, सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों में कार्यरत ऐसे अधिकारीः-

(i) जो सदृश पद पर हों; या
(ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 3, रू.15600-39100 + 5400/-रू. ग्रेड वेतन [संशोधन पूर्व वेतनमान 8000-275-13500 रू.] वाले पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा समकक्ष; और

(ख) जिनके पास पद के लिए नीचे मद सं. 5 के अंतर्गत निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव आदि हों।

पदोन्नति हेतु

योजना आयोग के अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात् इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो तथा पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों।

नोटः " परिपूरक श्रेणी (फीडर कैटेगरी) के विभागीय अधिकारी, जो सीधी पदोन्नति के क्रम में हो, प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।"

4. **आयु सीमा**

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. **पद के लिए शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव**

(i) **वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (समाजशास्त्र/सामाजिक योजना)**

अनिवार्य

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की समाजशास्त्र/मानव विज्ञान/सामाजिक ज्ञान/सामाजिक कार्य में मास्टर की डिग्री या समतुल्य अर्हता।

(ii) किसी मान्यता-प्राप्त संस्थान/संगठन/विश्वविद्यालय में सामाज कल्याण/पिछड़े वर्गों का कल्याण की समस्याओं के कार्य का अथवा सामाजिक गति विज्ञान, सामाजिक कल्याण और लोक प्रशासन का 5 वर्ष का अनुभव।

<u>वांछनीय</u>

(i) सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के विधितंत्र में प्रशिक्षण।

(ii) आंकड़ा संग्रहण, उसके विश्लेषण और निर्वचन का अनुभव।

(ii) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (कृषि विज्ञान)

<u>अनिवार्य</u>

(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में मास्टर की डिग्री जिसमें कृषि अर्थशास्त्र भी एक विषय रहा हो अथवा समतुल्य अर्हता।

(ii) भू-राजस्व, प्रशासन अथवा सहकारिता अथवा फसल से संबंधित विकास क्रियाकलाप, फसल उत्पादन, भू-राजस्व और भू-राजस्व समस्याओं में योजना तैयार करने और अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव।

<u>वांछनीय</u>

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य का अनुभव।

(ii) तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने और अनुसंधान आंकड़ों की परीक्षा करने का अनुभव।

6. पात्रता निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिन, पात्रता निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि होगी।

7. प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधिः

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इसी संगठन या किसी अन्य संगठन/केन्द्र सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति की शर्तें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के समय-समय पर यथा-संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं0 2/29/91-स्था.(पी.II) में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी और अनुबंध पर आने वाले अधिकारियों के मामले में शर्तें संबंधित प्राधिकरण के परामर्श से निश्चित की जाएंगी।

****

संलग्नक -I

प्रपत्र

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधिक अनुबंध सहित) आधार पर वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (जी.सी.एस.) के पद के लिए आवेदन दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए।

1. आवेदित पद का नामः
2. आवेदक का नाम

3. जन्म की तारीख

4. सेवानिवृत्ति की तारीख
(अधिकारी के लिए लागू केन्द्र/राज्य सरकार नियमों के अधीन)
5. (क) यदि वह किसी संगठित सेवा से संबंधित है तो उसका नाम

(ख) संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण का नाम और पूरा पता

6. शैक्षिक अर्हताएं :

निर्धारित अर्हताएं	अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं जो निर्धारित अर्हताओं के समकक्ष अथवा उससे अधिक हों।
अनिवार्यः	
(1)	
(2)	
(3)	
वांछनीय	
(1)	
(2)	
(3)	

टिप्पणी : यदि अधिकारी की कोई अर्हता निर्धारित अर्हता के समान न हो अथवा उससे उच्च हो या निर्धारित अर्हता के समकक्ष समझी जाए तो,उसके प्राधिकार के बारे में बताएं।

7. अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो, जो आवेदित पद से संबंधित हो :

संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि		संगठन जहाँ से प्रशिक्षण लिया गया	प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रकृति	अभ्युक्तियां
	से	तक			

8. धारित पद के संबंध में सूचना

(i) वर्तमान धारित पद

(ii) पूरा वेतनमान

(iii) वर्तमान वेतन

(iv) विशेष वेतन, यदि कोई हो

(v) क्या पद नियमित अथवा तदर्थ आधार पर अथवा प्रतिनियुक्ति आधार पर धारित है?

(vi) किस तारीख से इस पद पर हैं ?

(vii) यदि वर्तमान पद नियमित आधार पर धारित है, परंतु प्रारंभ में तदर्थ आधार पर धारित था, तो नियमित आधार पर किस तारीख से पद धारित किया गया है।

9. यदि वर्तमान पद नियमित आधार पर धारित नहीं है, तो

(i) नियमित आधार पर धारित पद

(ii) इसका पूरा वेतनमान

(iii) नियमित आधार पर धारित किए जाने की तारीख

10. अधिकारी द्वारा स्थाई क्षमता में धारित पद, यदि कोई हो।

11. (1)(क) क्या वर्तमान पद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 19017/27/75-स्था.(डी) (पार्ट) दिनांक 7.3.1984 की शर्तों के अनुसार सदृश पद है।

(ख) यदि वर्तमान पद जिसे सदृश समझा जाता है, वह गैर-केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में है, तो निम्नलिखित सूचना भी प्रस्तुत करें :

(i) पद से संबंधित कार्य

(ii) वेतनमान संशोधन की अंतिम तारीखः

(iii) क्या केन्द्रीय महंगाई भत्ते अथवा औद्योगिक महंगाई भत्ते द्वारा शासित हैः

(iv) वेतनमान के न्यूनतम और अधिकतम पर देय मंहगाई वेतन भत्ता आदि की राशि
- महंगाई वेतन
- महंगाई भत्ता
- अंतरिम राहत

(2) यदि वर्तमान पद सदृश पद न हो तो

(क) वेतन बैंड - 3, रू. 15600-39100+5400/-रू. ग्रेड वेतन [संशोधन पूर्व वेतनमान 8000-275-13500 रू.] अथवा समकक्ष अथवा इससे उच्च वेतनमान में नियमित आधार पर पद धारण करने की तारीख

(ख) गैर केन्द्र सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले उम्मीदवारों के मामले में-

(i) पूरा वेतनमान, जो 8000-275-13500 रू0 (पूर्व संशोधित) वेतनमान के समकक्ष हो

(ii) वेतनमान संशोधन की अंतिम तारीख

(iii) क्या केन्द्रीय महंगाई भत्ते/ औद्योगिक महंगाई भत्ते द्वारा शासित है

(iv) न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान में स्वीकार्य महंगाई वेतन आदि की राशिः
- महंगाई वेतन
- महंगाई भत्ता
- अंतरिम राहत

12. सेवा का विवरण

पद का नाम	नियोक्ता	अवधि		वेतनमान	कार्य की प्रकृति
		से	तक		

13. चयन के विषय क्षेत्र में अनुभव

टिप्पणीः कृपया अनुसंधान/निरूपण/डिजाइन/आयोजना अथवा योजना/परियोजना के निष्पादन/निरूपण के क्षेत्र में उपलब्धियां दर्शाते हुए प्रकाशित कृतियों की प्रतियां प्रस्तुत करें।

14. (1) पिन कोड संख्या सहित वर्तमान डाक पता

(2) दूरभाष सं0

(क) कार्यालय

(ख) आवास

(ग) मोबाइल

15. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं

16. कोई अन्य प्रासंगिक सूचना

दिनांकः
स्थानः

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

नोटः यदि अधिकारी कोई विशेष वेतन आहरित करता है, तो कृपया निम्नलिखित सूचना भी प्रस्तुत करें।

(i) जिस नियुक्ति के लिए विशेष वेतन प्रदान किया गया है क्या वह आवधिक नियुक्ति है; और

(ii) क्या पद के लिए विशेष वेतन विशेष रूप से पद के लिए अलग से वेतन के बदले में वेतनमान के अतिरिक्त स्वीकृत किया गया है ।

<u>आवेदन को अग्रेषित करने वाले कार्यालय के प्रयोग के लिए</u>

संदर्भ सं0 ----------------------- **दिनांक**----------------------

1. उपर्युक्त प्रविष्टियां इस कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड से सत्यापित की गई हैं और सही पाई गई हैं।
2. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (समाजशास्त्र/सामाजिक आयोजना)/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (कृषि विज्ञान) के पद पर उसका चयन होने पर अभ्यर्थी को चयन की सूचना देने के 15 दिन के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा ।
3. सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र, सतर्कता निकासी और छोटे/ बड़े दण्ड संबंधी प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न हैं।
4. इनके गोपनीय रिपोर्ट डोजियर/ पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियाँ (विधिवत् सत्यापित) संलग्न हैं।

हस्ताक्षर ----------------------------

नाम -----------------------------------

(कार्यालय की मोहर)

पदनाम --------------------------------

संलग्नक- II

सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र

वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की जांच करने के उपरान्त यह प्रमाणित किया जाता है कि डा0/श्री/श्रीमती/सुश्री......................................, पदनाम......................जिन्होंने प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण आधार पर योजना आयोग में *वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (समाजशास्त्र/सामाजिक आयोजना)/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (कृषि विज्ञान) के पद हेतु आवेदन किया है, की सत्यनिष्ठा संदेह से परे है । [*कृपया जो लागू न हो उसे काट दें]

(उपसचिव अथवा इससे उच्च स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर)

दिनांक

****

सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0/श्री/श्रीमती/सुश्री......................................, पदनाम......................जिन्होंने प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण आधार पर योजना आयोग में *वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (समाजशास्त्र/सामाजिक आयोजना)/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (कृषि विज्ञान) के पद हेतु आवेदन किया है, के विरुद्ध कोई अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही न तो लंबित है न ही विचाराधीन है। [*कृपया जो लागू न हो उसे काट दें]

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर)

दिनांकः

******

दण्ड नहीं प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0/श्री/श्रीमती/सुश्री......................................, पदनाम.................जिन्होंने प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण आधार पर योजना आयोग में *वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (समाजशास्त्र/सामाजिक आयोजना)/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (कृषि विज्ञान) के पद हेतु आवेदन किया है, के विरुद्ध पिछले दस सालों के दौरान कोई छोटा/बड़ा दण्ड नहीं लगाया गया है । [*कृपया जो लागू न हो उसे काट दें]

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर)

दिनांकः

*****